संख्या-सा-3- 744 /दस-3/95

प्रेषक,

श्री शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य) अनुभाग- 3, लखनऊ: दिनांक: 29 मई, 1995

विषय:- पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक पत्र व्यवहार को निरुत्साहित करने हेतु।

=====

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यद्यपि राज्य सरकार अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों / अधिकारियों के सेवानिवृत्तिक लाभों एवं पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों को निस्तारित करने के दिशा में निरन्तर एवं सतत् प्रयास कर रही है, फिर भी अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन प्रकरणों में नियमों की व्यवस्था के विपरीत संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी / उसके परिवार से अनावश्यक जिज्ञासा करते रहते है जिनसे पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हो जाता है। उदाहरणतया यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन कालीन अवशेष पेंशन / ग्रेच्युटी / भविष्य निधि व सामूहिक बीमे की धनराशि आदि के भुगतान के संदर्भ में परिवार से उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र की मांग की जाती है जिससे कि स्वर्गीय कर्मचारी के परिवार के सम्मुख अनेकों समस्यायें उत्पन्न हो जाती है। पेंशन संबंधी नियमों में कर्मचारी द्वारा नामांकन की व्यवस्था है और उसी के आधार पर उसे देय धनराशि का भुगतान किया जाता है। पेंशन नियमों में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र मांगे जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त

— 2 /

करने की एक न्यायिक प्रक्रिया है और उसकी व्यवहारिकता एक अलग बिन्दु है। अतएव आप कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि जिन प्रकरणों में नामांकन उपलब्ध है तथा अन्य कोई कमी नहीं है उसमें यथा अनुमन्य धनराशि का यथाशीघ्र भुगतान करा दिया जाए।

2- लोकायुक्त संगठन उत्तर प्रदेश को कतिपय ऐसे प्रकरण भी संदर्भित किए गए हैं जिनमें पेंशन के कागज सभी प्रकार से पूर्ण पाए गए, फिर भी संबंधित विभागाध्यक्ष अथवा शासन से अनावश्यक पत्र व्यवहार किया गया जिससे पेंशनर को अथवा उसके परिवार को अत्यधिक आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। अतःअनुरोध है कि आप कृपया अपने विभाग में उपरोक्त प्रकार की परिहार्य अभिदेश की कार्यवाही की प्रवृत्ति को समाप्त करने का कष्ट करें तथा यदि इस प्रकार का कोई प्रकरण लम्बित है तो उसे प्राथमिकता से निस्तारित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

शिव प्रकाश
संयुक्त सचिव।

संख्या-सा-3- 744 ।।/दस-3/95

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
2- राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, सचिवालय।
4- महालेखाकार प्रथम / द्वितीय / लेखा एवं हकदारी /उ0प्र0, इलाहाबाद।
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश
संयुक्त सचिव।